अ0शा0परिपत्र संख्याः डीजी- 41 /2017

सुलखान सिंह
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊःनवम्बर 28 , 2017

प्रिय महोदय,

कृपया पूर्व में निर्गत इस मुख्यालय के अ0शा0 परिपत्र संख्या-03/2014 दिनांक 09.01.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के परिक्षेत्रों में परिक्षेत्रीय सर्विलांस व अभिसूचना यूनिट के गठन हेतु परिक्षेत्र स्तर पर अपराधों की रोकथाम करने, विशेष प्रकार के अपराधों के त्वरित अनावरण तथा परिक्षेत्र के जनपदों में सामन्जस्य एवं समन्वय बनाने हेतु लघु ईकाई स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

परिक्षेत्र स्तर पर गठित सर्विलांस व अभिसूचना यूनिट की संकलित सूचना का मुख्यालय स्तर पर परिशीलन किया गया तो पाया गया कि अधिकांश यूनिटों द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने परिक्षेत्र स्तर पर गठित परिक्षेत्रीय सर्विलांस व अभिसूचना यूनिट को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए इसमें कार्यरत समस्त कर्मियों एवं उसमें उपलब्ध संसाधन/उपकरणों को अपने अधीन जनपदों में गठित क्राइम ब्रांच में स्थानान्तरित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

28/11/17

(सुलखान सिंह)

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक(नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1) अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
2) अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
3) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4) अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
5) समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6) पुलिस महानिरीक्षक अपराध/कानून-व्यवस्था, उ0 प्र0।